मजदूर दल सत्ता में आया। रैम्जे मैकडॉनल्ड ने घोषणा की कि शीघ्र ही भारत को राष्ट्रमंडल में समानता का दर्जा मिल जाएगा और उसे अधिराज्य स्तर दे दिया जाएगा। मैकडॉनल्ड ने लार्ड इरविन को परामर्श हेतु इंग्लैण्ड बुलाया। सितंबर आने पर 31 अक्टूबर 1929 को इरविन ने एक घोषणा की। यह घोषणा बड़ी अस्पष्ट थी। घोषणा में भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त करने की कोई तिथि निश्चित नहीं की गई थी। भारत का नवयुवक वर्ग इस घोषणा से सन्तुष्ट नहीं था।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन का आरम्भ (Beginning of civil Disobedience movement) :— जब गाँधीजी की प्रार्थनाओं का वायसराय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उन्होंने दाण्डी यात्रा के द्वारा नमक बनाकर, नमक कानून तोड़ने से आन्दोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। 26 जनवरी 1930 को भारत के ग्राम-ग्राम, नगर-नगर में 'स्वाधीनता दिवस' मनाया गया। फरवरी 1930 में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक साबरमती में हुई तथा महात्मा गाँधी को 'सविनय अवज्ञा आन्दोलन' आरम्भ करने का अधिकार दे दिया गया। गाँधीजी ने वायसराय के सामने 11 शर्तें रखी और कहा कि यदि सरकार इन्हें मान ले तो सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू नहीं किया जायेगा। ये शर्तें थी :— (i) पूर्ण नशाबन्दी हो (ii) मुद्रा विनिमय में एक रूपया एक शिलिंग-चार पेंस के बराबर माना जाए (iii) माल गुजारी आधी कर दी जाए (iv) नमक पर लगने वाला कर बन्द हो (v) सैनिक व्यय को कम कर दिया जाए (vi) बड़े अधिकारियों के वेतन में कमी कर दी जाए (vii) तटीय व्यापार संरक्षण कानून पारित किया जाए (viii) विदेशी वस्त्रों पर कर लगाया जाए (ix) राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए (x) खुफिया पुलिस तोड़ दी जाए और (xi) आत्मरक्षा के लिए हथियारों के लाइसेंस दिए जाए।

सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी जारी रखी। अतः गाँधीजी को बाध्य होकर आन्दोलन का सहारा लेना पड़ा। 12 मार्च 1930 को गाँधीजी अपने चुने हुए 79 साथियों के साथ ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लेने व सरकार की अवज्ञा करने व उसे चुनौती देने के लिए गुजरात प्रदेश के तट पर स्थित डाण्डी समुद्र तट की 200 मील की यात्रा पैदल चलकर 24 दिनों में तय की गई। सरदार पटेल आगे-आगे चले और उन्होंने गाँधीजी के आगमन के लिए जनता को तैयार किया। गाँधीजी व उनके दल का जगह-जगह भव्य स्वागत किया गया। समस्त संसार के राजनीतिज्ञों की आँखे इस समय गाँधीजी पर टिकी थी। देश-विदेश के पत्रकार भी गाँधीजी के साथ थे। सुभाषचन्द्र बोस ने गाँधीजी की डाण्डी यात्रा को नेपोलियन के 'पेरिस मार्च' और मुसोलिनी के 'रोम मार्च' के समान बताया। इस महान राष्ट्रीय घटना से पूर्व उसके साथ-साथ तथा उसके बाद में जो दृश्य देखने में आये थे वे इतने महत्वपूर्ण, शानदार और जीवन फूंकने वाले थे कि वर्णन नहीं किया जा सकता।

05 अप्रैल 1930 को गाँधीजी दाण्डी पहुँच गये और 06 अप्रैल को आत्म शुद्धि (प्रार्थना) के बाद नमक उठाकर (बनाकर) नमक कानून को भंग किया।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन
(CIVIL DISOBEDIENCE MOVEMENT)

सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह के शस्त्रागार का अन्तिम और सबसे अधिक शक्तिशाली अस्त्र है। यह सशस्त्र विद्रोह का रक्तहीन रूप है। सविनय का अर्थ है - सभ्य या शिष्ट अर्थात अहिंसात्मक और अवज्ञा का अर्थ है - आज्ञा अथवा कानून का उल्लंघन अर्थात शिष्टता तथा अहिंसात्मक ढंग से अनैतिक कानूनों का उल्लंघन करना, चाहे इसके लिए सत्याग्रही को कितना ही कठोर दण्ड क्यों न भोगना पड़े। गाँधीजी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन 'डाँडी यात्रा' के रूप में प्रारंभ किया था, जहाँ पहुँचकर समुद्र के पानी से अपने हाथों द्वारा नमक बनाकर सरकार के 'नमक कानून' को तोड़ा था। कांग्रेस हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहना चाहती थी, अतः सविनय अवज्ञा के रूप में आन्दोलन कर एक सार्थक कदम उठाया। पूर्ण स्वराज्य के प्राप्ति के लिए नमक कानून और अन्य कानूनों को तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रयोग अत्यन्त सावधानी से, यथासम्भव कम से कम अवसरों पर और अधिक से अधिक सीमित क्षेत्र में किया जाना चाहिए।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन के कारण (Cause of the Movement) :- सविनय अवज्ञा आन्दोलन तात्कालिक परिस्थितियों की उपज थी, जिसे प्रधान कारण इस प्रकार हैं :-

(I) **शोचनीय स्थिति** :- सन् 1930 के आस-पास भारी मन्दी तथा व्यापक बेकारी के कारण देशभर में आर्थिक दशा बड़ी शोचनीय हो गई थी। मजदूर, किसान, व्यापारी और सामान्य जनता सभी परेशान थे। एक गज कपड़ा या एक पाव मिट्टी का तेल भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे तथा कर, लगान तथा कर्ज चुकाने में बिल्कुल असमर्थ थे। अंग्रेज सरकार ने गाँधीजी की न्यूनतम माँगें भी अस्वीकार कर दी थी।

(II) **असन्तोष तथा उत्तेजना का वातावरण** :- देश में असंतोष तथा उत्तेजना का वातावरण बह रहा था। राजनीति में अब नवयुवक वर्ग की सहभागिता अधिक हो रही थी। सरकार ने भी रुपये की कीमत 16 पैसे से बढ़ाकर 18 पेन्स कर दी थी जिससे इंग्लैण्ड को अधिक लाभ हुआ। सरकार ने मजदूर संगठनों के नेताओं को गिरफ्तार कर उन पर मेरठ षड्यंत्र का अभियोग लगाया जिससे मजदूर भी क्रोधित हो उठे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के क्रांतिकारी कार्यों और 'लाहौर-षड्यन्त्र अभियोग' के कारण भी भारत का राजनीतिक वायुमण्डल अत्यधिक दूषित हो गया था।

(III) **स्वतंत्रता दिवस की घोषणा** :- दिसम्बर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ। 31 दिसम्बर की रात्रि को 12 बजे रावी नदी के तट पर भारत का तिरंगा झंडा फहराकर पूर्ण स्वतंत्रता दिवस का प्रस्ताव पारित किया गया। नेहरू प्रतिवेदन वापस लिया गया तथा पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति हेतु जनता का आह्वान किया गया। आवश्यकता पड़ने पर 'सविनय अवज्ञा आन्दोलन' प्रारंभ करने का कांग्रेस कार्य समिति को अधिकार दे दिया गया।

(IV) **इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार तथा इर्विन की घोषणा पत्र** :- सन 1929 ई० में

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

जो राजा धनराशि भूमि कर के रूप में देते थे। प्रान्तीय परिषदों की मतदान सम्बन्धी योग्यताएँ भिन्न-भिन्न थी जैसे-तीन हजार रुपये की वार्षिक आय पर कर देनेवाले मुसलमान को वोट देने का अधिकार था, लेकिन हिन्दू पारसी को यह अधिकार 3 लाख रुपये की आमदनी पर कर देनेवालों को भी प्राप्त नहीं था।

(vi) प्रतिनिधित्व में मुसलमानों को अधिक लाभ :- इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधानपरिषदों में उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक सदस्य भेजने का अधिकार दिया गया क्योंकि वे प्रायः अल्पमत में थे। लेकिन पंजाब, पूर्वी बंगाल और आसाम में रहनेवाले अल्पमत हिन्दुओं को यह रियायत नहीं दी गई।

मार्ले मिंटो सुधारों की आलोचना (Criticism of the Reforms Morley and Minto) :-

(i) इनके द्वारा भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं की गई :- 15 मई 1909 को लार्ड मार्ले ने दुबारा कहा था कि "हमारे जीवन काल में और आगामी कई पीढ़ियों तक भारत वर्ष के लिए स्वराज्य प्राप्ति असंभव है। इससे भारतीयों को बहुत निराशा हुई। डॉ० जकारिया ने कहा है कि "इन सुधारों द्वारा जो चीज भारतीयों को दी गई वह बिल्कुल अर्थ शून्य थी।

(ii) इससे साम्प्रदायिक चुनाव प्रणाली लागू की गई :- साम्प्रदायिक चुनाव प्रणाली का प्रारंभ कर हिन्दुओं और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। मुसलमान मतदाता केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को ही मत दे सकते थे। इससे मुसलमानों में हिन्दुओं से अलग होने की भावना बढ़ी। इस नीति से मुसलमान अलग राष्ट्र की माँग करने लगे, जिससे अंग्रेजों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए मान लिया और 1947 में देश का बँटवारा करके पाकिस्तान का निर्माण कर दिया गया। डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने सही कहा है कि "पाकिस्तान के वास्तविक जनक जिन्ना अथवा रहीमतुल्ला नहीं, लार्ड मिण्टो थे।"

(iii) अप्रत्यक्ष चुनाव आरम्भ किया गया :- इस अधिनियम द्वारा केन्द्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के लिए जनता को अधिकार नहीं दिया गया था। इनमें मत देने का अधिकार बहुत थोड़े लोगों को दिया गया।

(iv) चुने सदस्यों की महत्वहीन स्थिति :- केन्द्रीय विधान परिषद में सरकारी अधिकारियों का बहुमत था। प्रान्तीय विधान परिषदों में भी सरकारी अधिकारी और मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों को मिलाकर सरकार को बहुमत प्राप्त हो जाता था, इसलिए चुने सदस्य कुछ भी नहीं कर सकते थे।

(v) राष्ट्रीय एकता को हानिकारक :- इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को चुनने के लिए विभिन्न वर्गों तथा हितों के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य कई छोटे-छोटे वर्गों को भी परिषदों में अपने सदस्य भेजने का अधिकार दिया गया। मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव की व्यवस्था की गई और उन्हें विशेष रियायतें दी गई। इस प्रकार भारतीय जनता को विभिन्न वर्गों में बाँटकर राष्ट्रीय एकता को गहरा धक्का लगा।

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

लुई फिशर के अनुसार " 5 अप्रैल की रात भर, आश्रम वासियों ने प्रार्थना की और सब
लोग गाँधीजी के साथ समुद्र तट पर गये, गाँधीजी ने समुद्र में गोता लगाया किनारे
पर लौटे तथा लहरों की छोड़ा हुआ कुछ नमक उठाया। इस प्रकार गाँधी जी ने ब्रिटिश
सरकार के उस कानून को तोड़ दिया जिसके अनुसार सरकारी ठेके के अलावा लिया हुआ
नमक रखना गुनाह था।" देश के भिन्न-भिन्न भागों के लोगों ने स्वयं नमक बनाकर
कानून का उल्लंघन किया। जिन जगहों पर नमकीन पानी या मिट्टी के कारण नमक बनाना
संभव नहीं था, उन जगहों में अन्य कानूनों को भंग कर सत्याग्रह आरम्भ किया। 9 अप्रैल
1930 को गाँधीजी ने देश के सामने **सविनय अवज्ञा आन्दोलन** के प्रमुख कार्यक्रम को
इस प्रकार रखा :→ (i) हर गाँव निषिद्ध नमक को प्राप्त करें या बनावें (ii) बहनें शराब
की दुकानों के सामने धरना दें (iii) अफीम के अड्डों का बहिष्कार करावें (iv) विदेशी वस्त्रों के
विक्रेताओं को विदेशी माल का बहिष्कार करने को कहें (v) सरकारी शिक्षण संस्थाओं का
बहिष्कार करें (vi) सरकारी नौकरियों को त्यागें (vii) अस्पृश्यता उन्मूलन करें तथा शासन के
कार्यों का बहिष्कार करें।

उपरोक्त कार्यक्रमों से क्षुब्ध होकर अंग्रेजों ने गाँधीजी को बन्दी बनाकर
यरवदा जेल में भेज दिया गया।

गाँधीजी के बन्दी होने का परिणाम (Result of the Arrest of Mahatma Gandhi)

गाँधीजी की गिरफ्तारी पर देश के एक छोर से दूसरे छोर तक सहानुभूति की लहर फैल
गई। मुम्बई, कोलकाता और अनेक स्थानों पर सम्पूर्ण और स्वेच्छापूर्वक हड़तालें हो
गईं। गिरफ्तारी के दूसरे दिन की हड़ताल और भी व्यापक थी। मुम्बई में विशाल जुलूस
निकला। शाम को इतनी विशाल सभा हुई कि मंचों पर से भाषण देने पड़े। 80 में से 40
मिलें बन्द विरोधस्वरूप बन्द रहीं। कपड़े के व्यापारियों ने 6 दिन की हड़ताल का निश्चय
किया। गाँधीजी पूना में नजरबन्द किए गये थे। वहाँ भी पूर्ण हड़ताल की गई। स्थान-स्थान
पर सरकारी पदों और पदवियों को छोड़ने की घोषणाएँ भी होने लगीं। शोलापुर में 6
पुलिस-चौकियाँ जला दी गईं जिसके परिणामस्वरूप पुलिस की गोली से 25 व्यक्ति मर
गये और लगभग 1000 घायल हो गए। गाँधीजी की गिरफ्तारी का असर विश्वव्यापी हो गया।
पनामा के भारतीयों ने 24 घंटों की हड़ताल मनायी। जमायते-उलेमा-हिन्द ने भी
किफायतुल्ला के नेतृत्व में आन्दोलन का समर्थन किया। परन्तु मुस्लिम लीग और उसके
नेता जिन्ना ने कहा कि " हम मि० गाँधी का साथ देने से इन्कार करते हैं, क्योंकि उनका
आन्दोलन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए नहीं वरन भारत के सात करोड़ मुसलमानों
को हिन्दु महासभा का आश्रित बना देने के लिए है।' खिलाफत समिति के नेताओं
ने भी इस आन्दोलन में सक्रिय भाग नहीं लिया।

गाँधीजी जेल में ही थे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ लेकिन
इसमें भी बात नहीं बनी। गाँधी-इरविन समझौता (Gandhi - Irwin Pact) का